ACCOUNTABILITY INITIATIVE

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

संक्षिप्त • अंक 1 • 2021

राजस्थान

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम)
- एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस)
- समग्र शिक्षा अभियान
- कोविड-19 महामारी सम्बंधित जानकारी

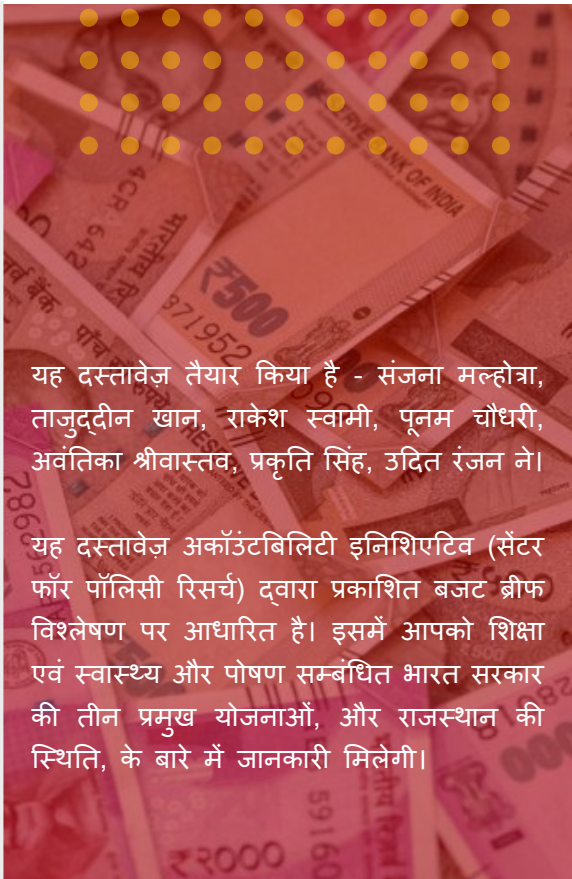

यह दस्तावेज़ तैयार किया है - संजना मल्होत्रा, ताजुद्दीन खान, राकेश स्वामी, पूनम चौधरी, अवंतिका श्रीवास्तव, प्रकृति सिंह, उदित रंजन ने।

यह दस्तावेज़ अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) द्वारा प्रकाशित बजट ब्रीफ विश्लेषण पर आधारित है। इसमें आपको शिक्षा एवं स्वास्थ्य और पोषण सम्बंधित भारत सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं, और राजस्थान की स्थिति, के बारे में जानकारी मिलेगी।

अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च,

धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी,

नई दिल्ली - 110084

कोविड-19 महामारी ने रोजमर्रा की जिंदगी को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। सरकारी योजनायें भी इससे अछूती नहीं रहीं हैं। अगले कुछ पन्नों में आपको स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा से सम्बंधित भारत सरकार की अहम योजनाओं के ऊपर तथ्य आधारित निधि आवंटन, व्यय, और परिणाम पर जानकारी मिलेगी। हमें उम्मीद है की आप 'संक्षिप्त' के ज़रिये उपलब्ध जानकारियों को अपने काम में उपयोगी पाएंगे।

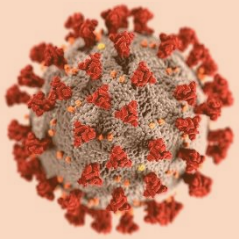

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मई 2013 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारी संस्थानों, और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को मज़बूत बनाना है ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा सकें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दो उप-मिशन हैं:

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम) जो कि ग्रामीण भारत में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 में शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम) जो कि शहरी भारत के लिए 2013 में शुरू किया गया था।

एन.एच.एम मंत्रालय की सबसे बड़ी योजना है और कोविड-19 से जूझने में महत्वपूर्ण मानी गयी है।

भारत सरकार की तरफ से निधि आवंटन

- वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन ₹73,932 करोड़ है (अनुमानित बजट[1] जिस को बजट एस्टिमेट्स भी कहते हैं), जो कि वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान[2] (जिसको रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी कहते हैं) की तुलना में 11 प्रतिशत कम है। संशोधित अनुमान ₹82,928 करोड़ रुपए था।
- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने एन.एच.एम के लिए ₹36,576 करोड़ आवंटित किए।

[1] अनुमानित बजट आगामी वित्त वर्ष में मंत्रालय या योजना के लिए बजट आवंटित धन के संभावित व्यय का पूर्वानुमान होता है।

[2] संशोधित अनुमान संभावित व्यय की मध्य वर्ष समीक्षा होता है। यह बाकी खर्च, नई सेवाओं और सेवाओं के नए साधन आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है।

एन.एच.एम आवंटन में 4% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22)

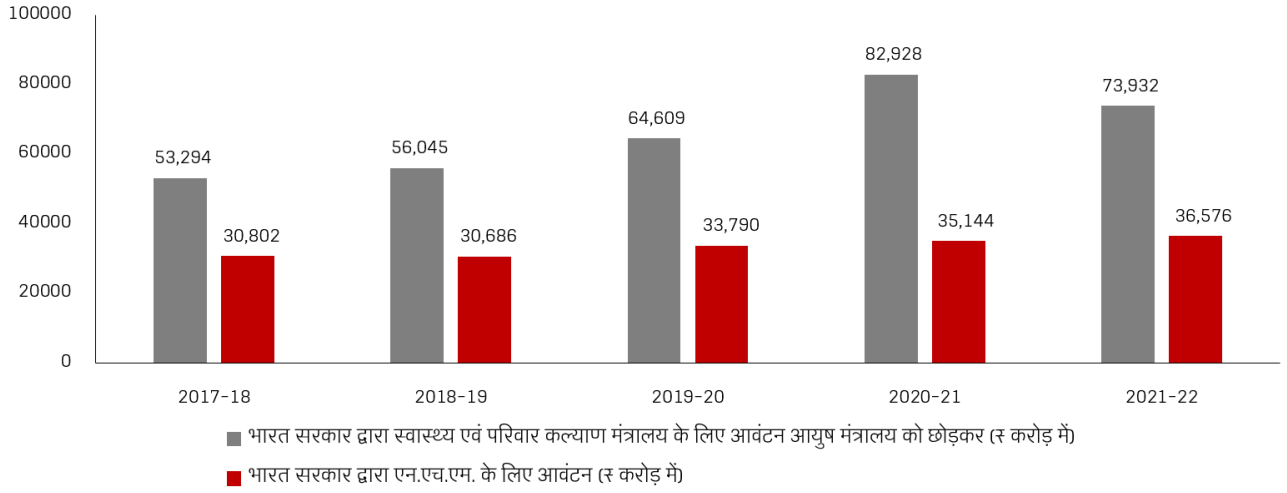

स्रोत: केंद्रीय व्यय बजट, खंड 2, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक। ऑनलाइन उपलब्ध: http://indiabudget.gov.in। दिनांक 1 फरवरी 2021 के अनुसार।

नोट: (1) आंकड़े करोड़ रुपये में हैं और संशोधित अनुमान हैं, वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़कर, जो बजट अनुमान हैं। (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए भारत सरकार के आवंटन में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय का आवंटन शामिल नहीं है।

कोविड-19 के लिए धनराशि

- भारत सरकार ने राज्यों को सलाह जारी की है की वह एन.एच.एम और राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ) का उपयोग कोविड-19 महामारी से झूंझने में करें। 5 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने ₹15,000 करोड़ के आवंटन के साथ 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज तैयारी' (इ.आर.एच.एस.पी.पी) की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य वर्तमान में कोविड-19 के प्रकोप को कम करना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी और भी परिस्थितियों के लिए मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालि का निर्माण करना है।
- इसे जनवरी 2020 से मार्च 2024 के बीच तीन चरणों में लागू किया जाना है। पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020 तक है, दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक है, और तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक है। पहले दो चरणों के लिए ₹7,774 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- एन.एच.एम के तहत निधि का जारी होना राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर आधारित है (यानि के आर.ओ.पी[3])। राज्यों से एक 'आपातकालीन कोविड-19 रिस्पांस प्लान' (ई.सी.आर.पी) तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है। उनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कुल संसाधन में से इसका हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

[3] भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एस.पी.आई.पी) को रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (आर.ओ.पी) कहा जाता है। इसमें कुल उपलब्ध संसाधन शामिल हैं (जिसकी गणना भारत सरकार के फंड के आधार पर की जाती है), राज्य के योगदान का आनुपातिक हिस्सा और राज्यों के साथ उपलब्ध शेष राशि।

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपातकालीन कोविड-19 रिस्पांस प्लान के लिए ₹6,028 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। 1 जनवरी 2021 तक भारत सरकार ने ₹5,999 करोड़ (या अनुमोदित राशि की 99 प्रतिशत से अधिक राशि) जारी कर दी थी।
- **राजस्थान को देखें तो राज्य के आवंटन का 77 प्रतिशत ही जारी किया गया।** विश्लेषण किए गए राज्यों में कर्नाटक के अलावा राजस्थान सबसे कम आवंटन वाले राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश सहित 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रिलीज़ का अनुपात आवंटन से अधिक था।

आपातकालीन कोविड-19 रिस्पांस प्लान के तहत, 1 जनवरी 2021 तक राजस्थान के लिए कोविड-19 आवंटन का केवल 77% जारी हुआ

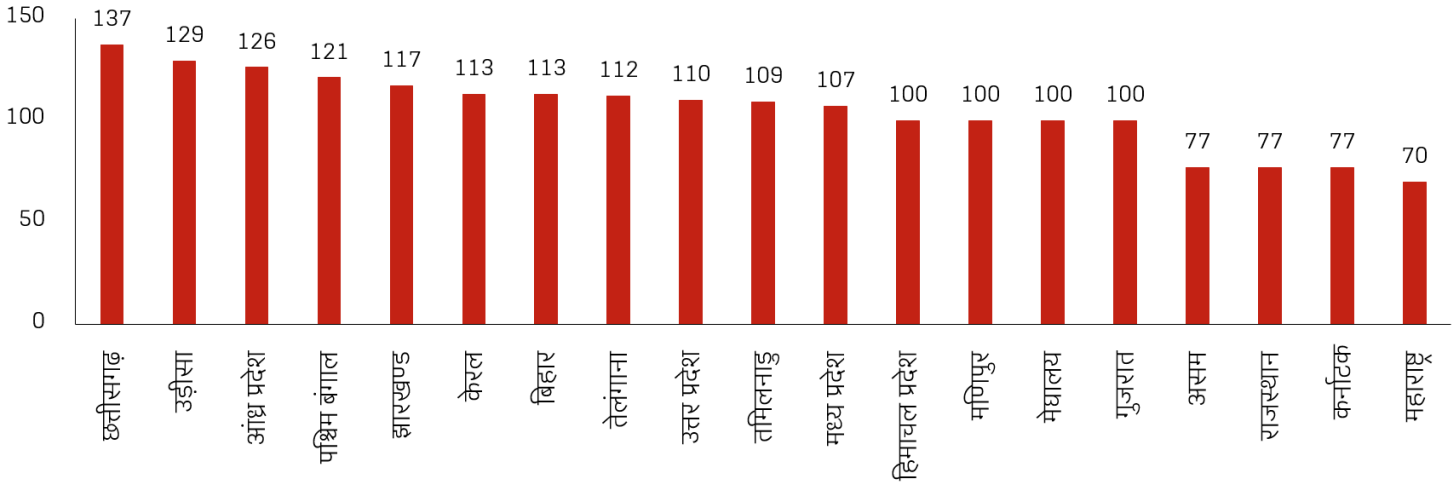

▪ भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए आवंटित धन में से 1 जनवरी 2021 तक जारी राशि (प्रतिशत में)

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आर.टी.आई से मिला डाटा। दिनांक 1 जनवरी 2021 के अनुसार।

नोट: आर.टी.आई के अनुसार कोविड -19 आवंटन ई.सी.आर.पी में उल्लेखित 'कुल बजट रिलीज़' के साथ मेल खाता है।

व्यय की स्थिति

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में व्यय कम रहा है।** एन.एच.एम के तहत धनराशि जारी करना राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के प्लान पर आधारित है, जिन्हें राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एस.पी.आई.पी) के रूप में जाना जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना अनुमोदन ₹50,070 करोड़ था, जिसमें से 32 प्रतिशत (₹16,057 करोड़) 30 सितंबर 2020 तक, यानी वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों, तक खर्च किया गया।
- **राजस्थान में एन.एच.एम के अंतर्गत व्यय मात्र 23 प्रतिशत ही था।** कम खर्च करने वाले राज्यों में राजस्थान भी था। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही तक केवल तीन राज्यों — केरल, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना — ने 50 प्रतिशत से अधिक धन खर्च किया था।

राजस्थान में केवल 23% स्वीकृत धनराशि खर्च की गई (30 सितंबर 2020 तक)

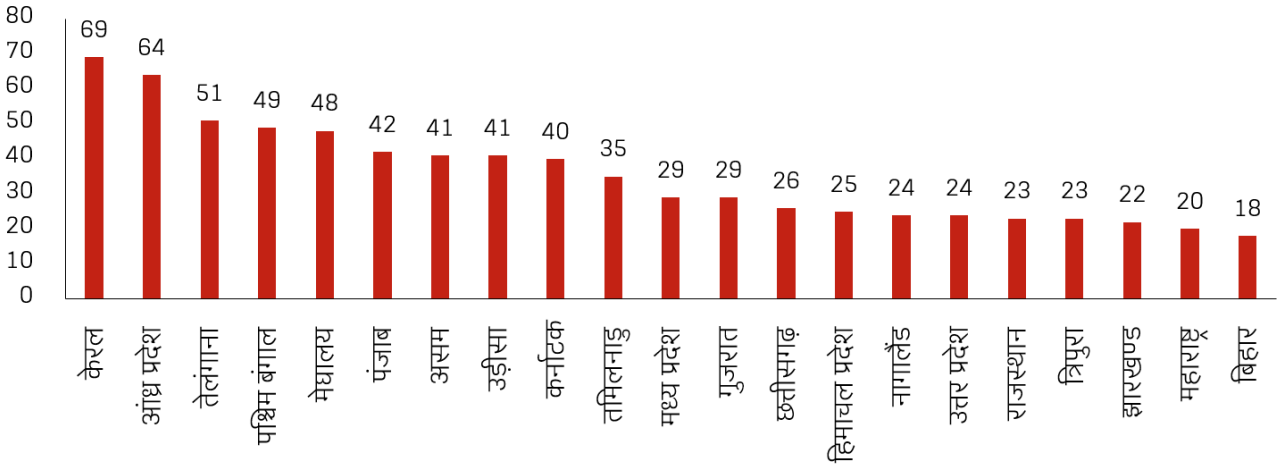

▪ एन.एच.एम. का 30 सितम्बर 2020 तक एस.पी.आई.पी. अनुमोदित बजट में से व्यय (प्रतिशत में)

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आर.टी.आई से मिला डाटा। दिनांक 1 जनवरी 2021 के अनुसार।

भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 जनवरी 2021 तक ₹44 प्रति व्यक्ति जारी किया। यह राशि राजस्थान के लिए ₹35 प्रति व्यक्ति थी।

आउटपुट और परिणाम

- महामारी में वेंटिलेटर, एन-95 मास्क, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) केंद्र सरकार से खरीदे जाने हैं। राज्यों को सलाह दी गई कि वे भारत सरकार से वेंटिलेटर की मांग करें। राज्यों ने अप्रैल 2020 में अपनी अनुमानित मांग प्रस्तुत की। **22 सितंबर 2020 तक राजस्थान को अपनी मांग के अनुरूप 88 प्रतिशत वेंटिलेटर प्रदान किये गए, तथा उनमें से 79 प्रतिशत प्रतिष्ठापित भी करवा दिया गए।**
- **कोविड-19 महामारी ने नियमित टीकाकरण कवरेज के विस्तार प्रगति को धीमा कर दिया।** मार्च और अप्रैल 2020 के बीच, नियोजित टीकाकरण सत्रों की संख्या 43 प्रतिशत घटकर 10.58 लाख से 6.02 लाख हो गई। **राजस्थान में इसमें 51 फीसदी की गिरावट आई।**
- प्रति व्यक्ति सरकारी डॉक्टरों और अस्पताल बेड की उपलब्धता की संख्या में कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) के मानदंडों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों के लिए कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, और प्रति 1,000 लोगों के लिए पांच अस्पताल के बेड होने चाहिए।
- भारत में प्रति 11,268 लोगों के लिए एक सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर है। **राजस्थान में भी लगभग 11 हजार लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है।**

- इसी तरह, भारत में हर 1,843 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल बेड है, जबकि **राजस्थान में यह आंकड़ा 2,000 लोग प्रति बेड है।**

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, एन.एफ.एच.एस-4 (2015-16) और एन.एफ.एच.एस-5 (2019-20), के आंकड़ों के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर 2016 में 34 से कम होकर 2018 में 32 हुई। राजस्थान की भी शिशु मृत्यु दर 2016 में 30 से 2018 में 26 तक कम हुई है।

एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस)

एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभिक बचपन में शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण सेवाएं प्रदान करता है। इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण, और स्कूल छोड़ने की घटना को कम करना है। साथ ही इसका उद्देश्य माताओं की क्षमताओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के ज़रिये वृद्धि करना है, जिससे वे बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें।

भारत सरकार ने बजट 2021-22 में आई.सी.डी.एस और पोषण अभियान का पुनर्गठन किया, और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की घोषणा की। इसमें निम्नलिखित उप योजनाएं शामिल हैं: तत्कालीन आई.सी.डी.एस, पोषण, किशोरियों के लिए योजना, और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। **'संक्षिप्त'** तत्कालीन आई.सी.डी.एस योजना पर केंद्रित है।

आई.सी.डी.एस योजना में छह सेवाओं का पैकेज है। यह हैं: पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी); गैर-औपचारिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा (पी.एस.ई); पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; टीकाकरण; स्वास्थ्य जांच; और रेफरल सेवाएं।

पहली तीन सेवाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं, और शेष तीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार की तरफ से निधि आवंटन

- वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमानित बजट में भारत सरकार ने ₹24,435 करोड़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित किये। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2.0 के लिए ₹20,105 करोड़ आवंटित किये गए। यह पिछले वर्ष के बजट अनुमान में इसके घटकों के जोड़ से कम है (जो ₹24,557 करोड़ था)। इसके अलावा ये वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में तत्कालीन आई.सी.डी.एस के लिए किये गए आवंटन से भी 2 प्रतिशत या ₹427 करोड़ कम है।

वित्त वर्ष 2021-22 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को ₹20,105 करोड़ आवंटित किये गए

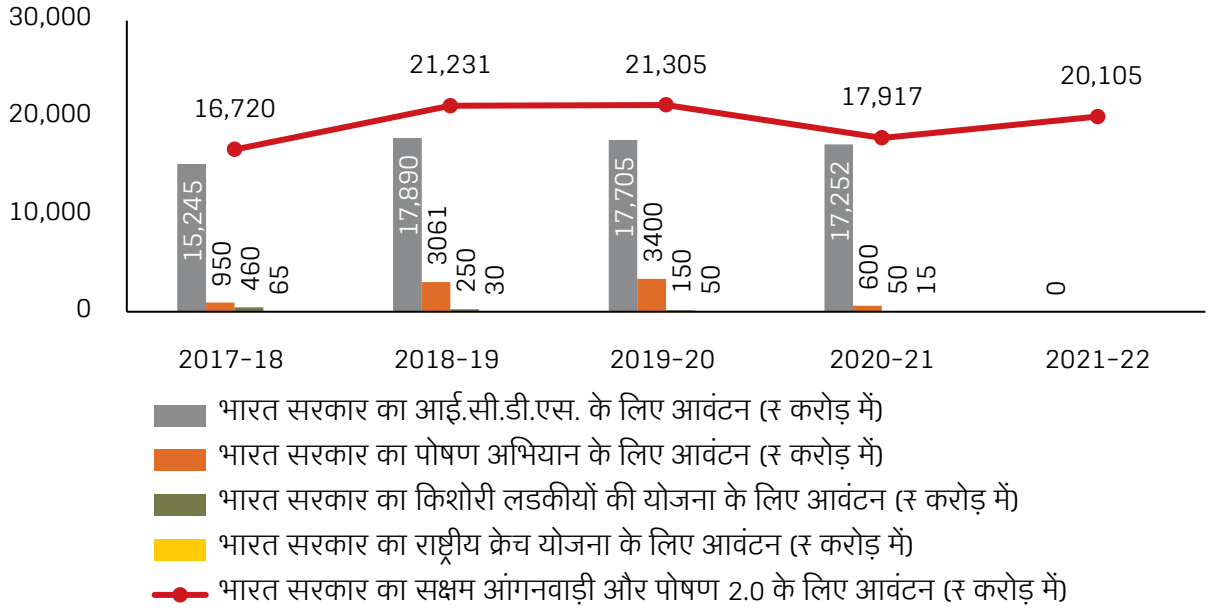

स्रोत: केंद्रीय व्यय बजट, खंड 2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक ऑनलाइन उपलब्ध: https://www.indiabudget.gov.in। दिनांक 1 फरवरी 2021 के अनुसार।

नोट: (1) आंकड़े करोड़ रुपये में हैं और संशोधित अनुमान हैं, वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़कर जो बजट अनुमान हैं। (2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया था और वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राशि आई.सी.डी.एस, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के लिए आवंटन का योग है।

आई.सी.डी.एस घटक वार रिलीज

- 18 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति ना करने से बड़े पैमाने पर कुपोषण हो सकता है, जिससे उन्हें कोविड-19 का भी अधिक खतरा है।
- पूरक पोषण कार्यक्रम आई.सी.डी.एस का सबसे बड़ा घटक है। महामारी के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने के बावजूद, यह कार्यक्रम टेक होम राशन और रेडी-टू-ईट भोजन के साथ जारी रहा। एस.एन.पी. को पूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में ₹40,974 करोड़ की आवश्यकता होने का अनुमान था। लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 में कुल स्वीकृत बजट (केंद्र और राज्य दोनों भागों को जोड़कर) ₹19,036 करोड़ था, जो आवश्यक लागत का केवल 47 प्रतिशत था। **राजस्थान में एस.एन.पी हेतु पूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि की तुलना में अनुमोदित बजट वर्ष 2020-21 के लिए आवश्यक राशि का केवल 29 प्रतिशत था।**

- पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2020-21 में, दिसंबर तक, ₹6,625 करोड़ जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक था। **परन्तु राजस्थान में, चल रही महामारी के बावजूद, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 में 16 प्रतिशत कम जारी किया गया था।**
- एस.एन.पी के विपरीत, कोविड-19 महामारी का आई.सी.डी.एस-सामान्य पर काफी प्रभाव देखने को मिला। इस घटक पर व्यय में शामिल हैं: मध्य स्तर के प्रबंधकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन पर खर्च, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए मानदेय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका को किराया अगर आंगनवाड़ी केंद्र उनके घर या किराए पर लिए गए भवन से चल रहे हों, आदि। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 के बीच इसके लिए भारत सरकार से जारी फंड में 14 प्रतिशत की कमी आई। वित्त वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम धन प्राप्त हुआ। **राजस्थान में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 में आई.सी.डी.एस-सामान्य का स्वीकृत हिस्सा 19 प्रतिशत कम जारी हुआ।**

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राजस्थान में आई.सी.डी.एस-सामान्य और एस.एन.पी में 16% और 19% की गिरावट हुई

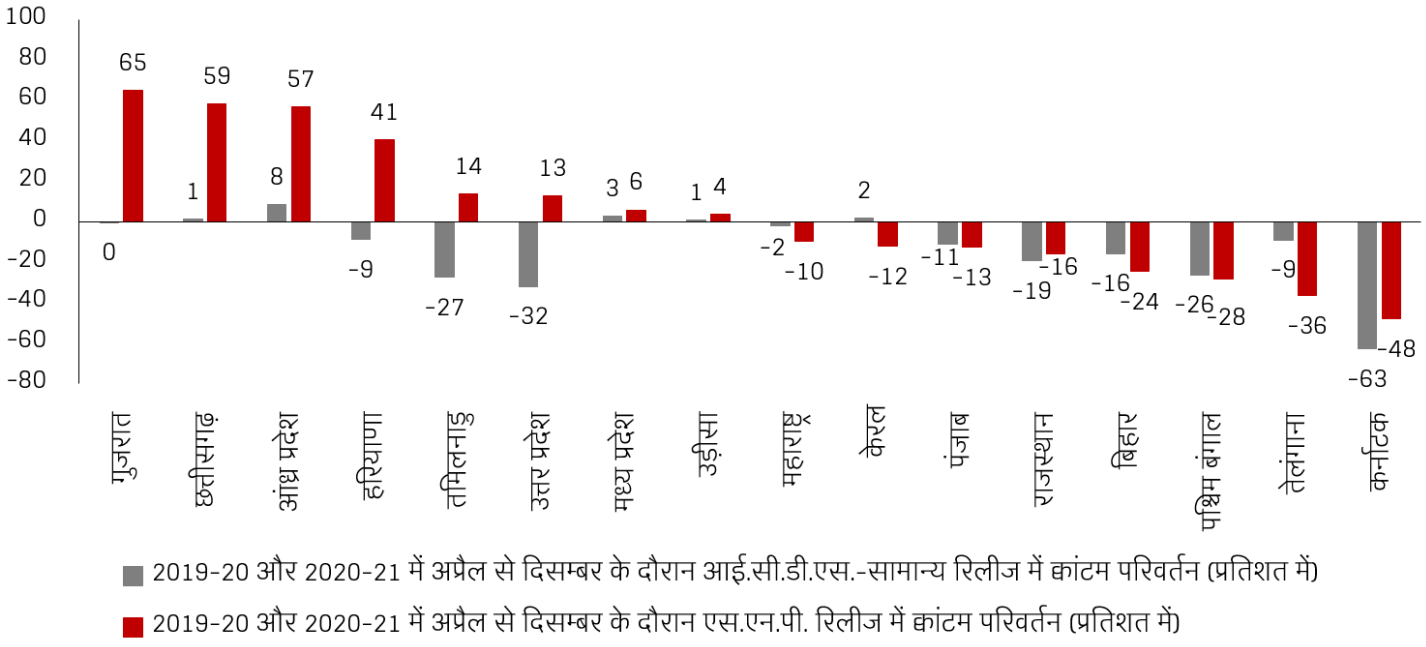

स्रोत: आई.सी.डी.एस-सामान्य और एस.एन.पी रिलीज़ का डाटा 2019-20 और 2020-21 के लिए आई.सी.डी.एस वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध: https://icds-wcd.nic.in/finance.aspx। दिनांक 14 जनवरी 2021 के अनुसार।

व्यय की स्थिति

- फरवरी 2021 तक, व्यय पर अद्यतन डाटा की सार्वजनिक उपलब्धता नहीं थी। सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) कानून का उपयोग किया गया। आवेदन को राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि भारत सरकार पूर्ण राज्य-वार और घटक-वार डाटा को नहीं बनाए रखती है।

कवरेज

- भारत में कोविड-19 महामारी ने पूरक पोषण कार्यक्रम लाभार्थियों से अधिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा लाभार्थियों को प्रभावित किया। मार्च 2020 और जून 2020 के बीच, पूरक पोषण कार्यक्रम लाभार्थियों की संख्या में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। पूर्व विद्यालयी शिक्षा लाभार्थियों की संख्या में 34 फीसदी गिरावट आई।
- जून 2019 (महामारी से पहले) और जून 2020 (देशव्यापी तालाबंदी समाप्त होने का महीना) की राज्य-वार तुलना में पाया गया कि **पूरक पोषण कार्यक्रम लाभार्थियों की संख्या में राजस्थान में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या में 47 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।**
- कोविड-19 महामारी के कारण अन्य सेवाएँ भी देशव्यापी तालाबंदी से प्रभावित थीं। इनमें शामिल थे नवजात शिशुओं का वज़न लेना और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वी.एच.एस.एन.डी) को आयोजित करना।
- **राजस्थान में मार्च से अप्रैल 2020 के बीच वज़न किये गए नवजात शिशुओं में 28 प्रतिशत की गिरावट आई।**

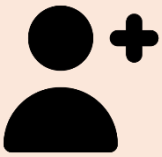

लॉकडाउन के अंत - यानी 30 जून 2020 - तक भारत में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ) के लिए स्वीकृत पदों में से 29 प्रतिशत और लेडी सुपरवाइजर (एल.एस) के लिए स्वीकृत पदों में से 32 प्रतिशत पद रिक्त थे। राजस्थान में स्वीकृत पद के मुकाबले सी.डी.पी.ओ के स्वीकृत पदों में से 44 प्रतिशत पद खाली थे एवं एल.एस के 43 प्रतिशत पद रिक्त थे।

परिणाम

- आई.सी.डी.एस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों के पोषण परिणामों में सुधार करना है। ऐसे कई संकेतक हैं जो पोषण संबंधी स्थिति सूचित करते हैं, जैसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस) के माध्यम से जनसंख्या, स्वास्थ्य, और पोषण पर व्यापक जानकारी एकत्र की जाती है। सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं और छोटे बच्चों सम्बंधित संकेतक पर

ज़ोर दिया जता है। **राजस्थान में एन.एफ.एच.एस-4 (2015-16) में पांच साल से कम आयु के बच्चों में 39 प्रतिशत में स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम उचाई) थी और 37 प्रतिशत बच्चों में** वेस्टिंग **(या उम्र के हिसाब से कम वजन-ऊंचाई) थी।**

- राजस्थान के लिए एन.एफ.एच.एस-5 (2019-20) के आंकड़े मई 2021 तक जारी नहीं किए गए थे।

पोषण अभियान

महिला और बाल विकास मंत्रालय **पोषण अभियान** का संचालन भी करता है। पोषण अभियान का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी, अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन, प्रशिक्षण, और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में कुपोषण की व्यापकता को कम करना। बजट 2021-22 में इसे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में लॉन्च किया गया है।

पोषण अभियान के तहत राज्यों को **नवप्रवर्तन निधि** दी जाती है। यह केवल पायलट कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में, 31 अक्टूबर 2020 तक, **राजस्थान ने नवप्रवर्तन गतिविधियों पर केवल 25 प्रतिशत फंड खर्च किया**।

समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो कि भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक कवर करती है। योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी बच्चों को समावेशी एवं समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अध्यापक प्रशिक्षण योजना सम्मिलित है।

समग्र शिक्षा अभियान को शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और यह मंत्रालय की सबसे बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की स्कूल शिक्षा पर दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने प्रभाव डाला है। पहला, कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से स्कूल बंद होना जिसकी वजह से डिजिटल शिक्षा की ओर रूख हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2030 तक स्कूल शिक्षा में एकीकरण किया जाना है।

भारत सरकार की तरफ से निधि आवंटन

- वित्त वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा के लिए भारत सरकार का अनुमानित बजट ₹31,050 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान से 11 प्रतिशत अधिक है, लेकिन अनुमानित बजट के मुकाबले 20 प्रतिशत कम है।

भारत सरकार ने 2021-22 में समग्र शिक्षा के लिए ₹31,050 करोड़ रूपये आवंटित किये

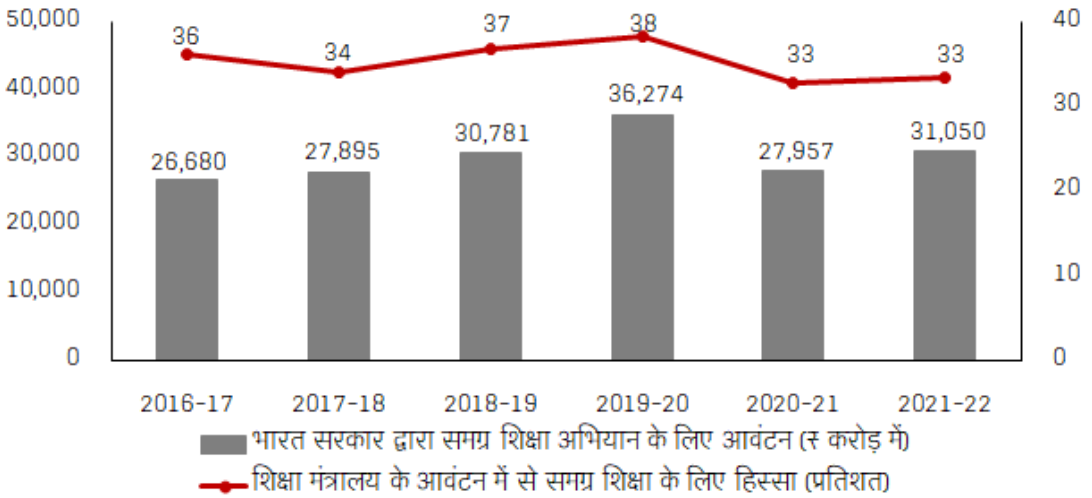

स्रोत: केंद्रीय व्यय बजट, (शिक्षा मंत्रालय) वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक यहाँ ऑनलाइन उपलब्ध है: www.indiabudget.gov.in. 1 फरवरी 2021 के अनुसार।

नोट: (1) आंकड़े संशोधित अनुमान हैं, वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़कर, जो कि अनुमानित बजट हैं। (2) वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के आंकड़े सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एवं अध्यापक प्रशिक्षण योजना का योग हैं।

घटक वार रिलीज

- पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी धनराशि कम होती गयी है। वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य शिक्षा के लिए भारत सरकार के कुल आवंटन का 95 प्रतिशत राज्यों को जारी किया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में निरपेक्ष रूप से आवंटन में वृद्धि हुई, लेकिन राज्यों को 89 प्रतिशत आवंटित धनराशी ही जारी की गयी जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत कम थी।
- वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत में स्कूल शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, राज्यों को निर्देशित किया गया कि वह पिछले वर्षों से अपने बकाया शेष राशि को खर्च करते हुए ₹6,200 करोड़ की राशि खर्च करें। पहली तिमाही में ₹4,450 करोड़ का तदर्थ अनुदान (एड होक) भी जारी किया गया था।
- हालांकि, रिलीज की गति धीमी रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में, 24 नवम्बर 2020 तक, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के लिए कुल आवंटित बजट का केवल 40 प्रतिशत ही जारी किया था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में औसतन, अधिकांश राज्यों के लिए स्वीकृत बजट में भी गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्थान के डाटा को देखें तो स्वीकृत बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी थी। **वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान में करीब 9 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली।**

अधिकांश बड़े राज्यों के स्वीकृत बजट में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में गिरावट देखी गयी

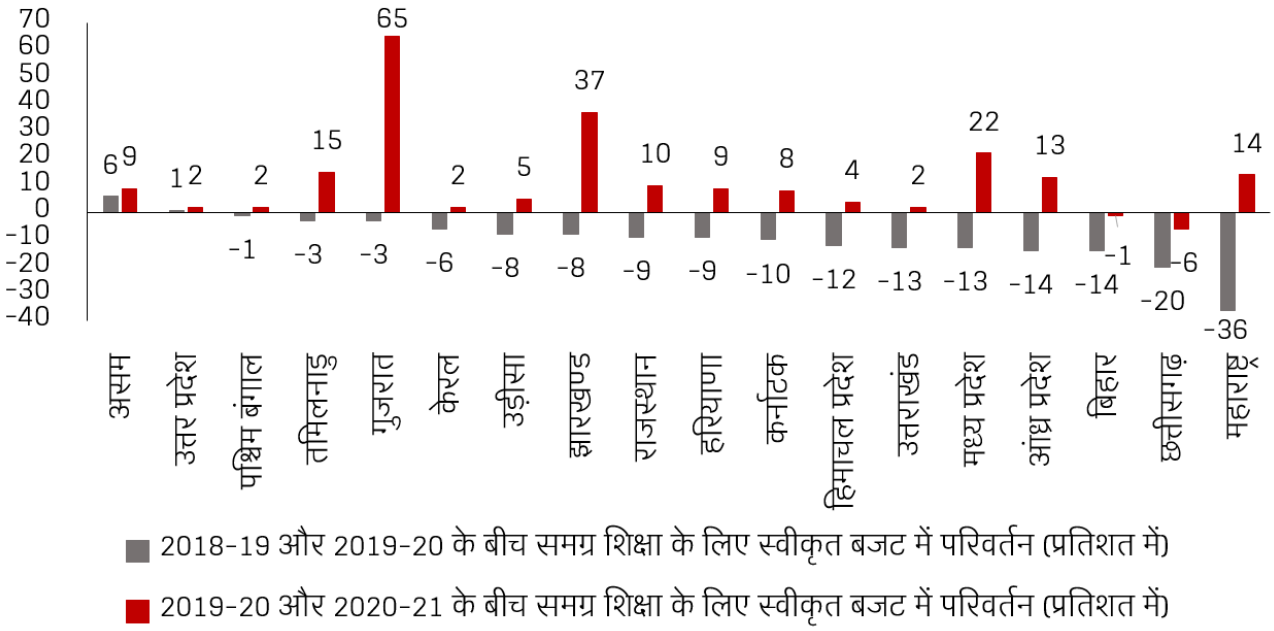

स्रोत: समग्र शिक्षा अभियान पी.ए.बी मिनुट्स जो ऑनलाइन उपलब्ध है: https://seshagun.gov.in/pab-minutes 10 जनवरी 2021 के अनुसार।

घटक वार अनुमोदन

- वित्त वर्ष 2020-21 में प्राथमिक शिक्षा अनुमोदित बजट (पिछले वर्ष के स्पिलओवर सहित) का 79 प्रतिशत हिस्सा था। वित्त वर्ष 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा का अनुमोदित बजट में हिस्सा 19 प्रतिशत था।
- **राजस्थान ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 73 प्रतिशत बजट आवंटित किया और माध्यमिक शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के लिए क्रमशः 26 एवं 1 प्रतिशत बजट का आवंटन किया।**
- 'शिक्षक वेतन' वित्त वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा के अनुमोदित बजट का सबसे बड़ा हिस्सा - 32 प्रतिशत - है, जो वित्त वर्ष 2019-20 के समान है।
- शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू- डाइस) के 2018-19 के डाटा के अनुसार, राजस्थान के 31 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर और 17 प्रतिशत विद्यालयों में इंटरनेट की उपलब्धता है।

राजस्थान में 12 प्रतिशत स्वीकृत अध्यापकों के पद रिक्त थे। यह जानकारी सरकार ने लोकसभा में 19 सितंबर 2020 को प्रश्न संख्या 1243 के जवाब में दी, जिसमें राज्यों में स्वीकृत अध्यापकों के रिक्त पदों का डाटा शेयर किया गया।

व्यय की स्थिति

- वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्थान ने अपने स्वीकृत बजट का केवल 59 प्रतिशत ही खर्च किया।
- **राजस्थान ने वित्त वर्ष 2020-21 के पहले सात महीनों में अपने स्वीकृत बजट का आधा हिस्सा खर्च किया जो अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक था।**

31 अक्टूबर 2020 तक राजस्थान ने वित्त वर्ष 2020-21 के स्वीकृत बजट का 50 प्रतिशत बजट खर्च किया

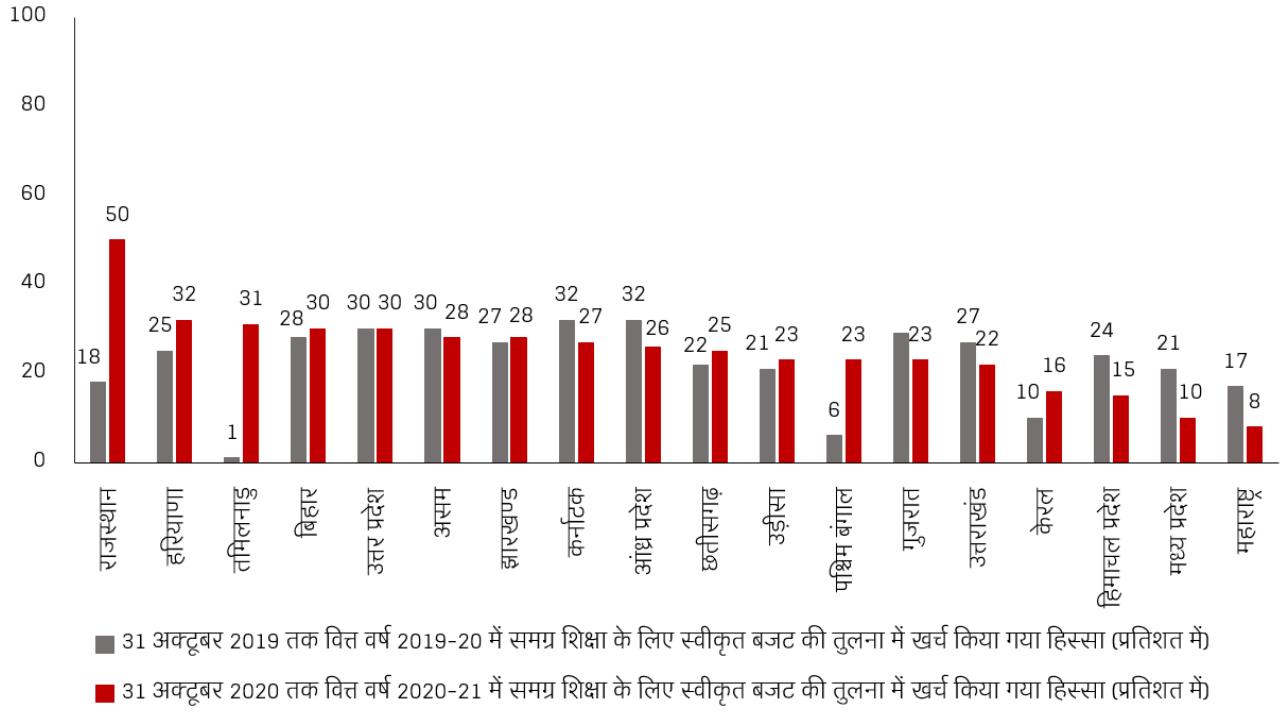

स्रोत: (1) वित्त वर्ष 2018-19 में खर्च: शिक्षा मंत्रालय द्वारा आर.टी.आई. प्रतिक्रिया दिनांक 18 दिसम्बर 2019। (2) वित्त वर्ष 2018-19 में खर्च: शिक्षा मंत्रालय द्वारा आर.टी.आई. प्रतिक्रिया दिनांक 24 नवम्बर 2020। (3) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित बजट: शिक्षा मंत्रालय द्वारा आर.टी.आई. प्रतिक्रिया दिनांक 27 दिसम्बर 2018। (4) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदित बजट: समग्र शिक्षा अभियान पी.ए.बी मिनुट्स जो ऑनलाइन उपलब्ध है https://seshagun.gov.in/pab-minutes 10 जनवरी 2021 के अनुसार।

कोविड-19 के दौरान शिक्षा पर प्रभाव

- वित्त वर्ष 2020-21 में, कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से डिजिटल शिक्षा पर ज़ोर बढ़ा। सरकार ने डिजिटल सामग्री साझा की और टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, और ऑनलाइन पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्रेड-विशिष्ट शिक्षण जारी रखने के लिए कई पहल की।
- राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को पढाई में मदद करने हेतु *स्माइल* (सोशल मीडिया इंटरफ़ेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट) कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। इसके अंतर्गत अभिभावकों का कक्षानुसार व्हाट्सअप समूह बनाकर प्रतिदिन बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री भेजी गयी। इसी क्रम में *स्माइल-2* एवं *आओ घर पर सीखें* कार्यक्रम भी चलाये गये।

हमसे जुड़ें

www.accountabilityindia.in

@accountabilityindia

@Accountability Initiative, Centre for Policy Research

@AccInitiative

हमारे बारे में

अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव एक अनुसंधान समूह है जो 2008 से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने पर काम कर रहा है। हमने भारत में कुशल सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को प्रभावित करने वाली राज्य क्षमताओं और कारकों पर साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के माध्यम से ऐसा किया है। हमने बहु-क्षेत्रीय सामाजिक विषय: जैसे शासन प्रक्रिया और बजट पर अध्ययन किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों को हमने बारीकी से देखा है। हम 5 राज्यों - बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कार्यरत हैं।

हमारी कोशिश उत्तरदायी शासन को सक्षम करने की है। हमारा मानना है कि उत्तरदायी शासन हासिल किया जा सकता है यदि सरकारी संस्थान पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से बनाए जाएं और नागरिक मांगों के प्रति जवाबदार हों। इसके साथ ही जागरूक नागरिक की भूमिका इस जवाबदेही व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण है।

हम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का हिस्सा हैं, जो भारत की प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंकों में से एक है।

बजट ब्रीफ्स के बारे में

हम बजट ब्रीफ्स को हर साल प्रकाशित करते हैं। सरकारी डाटा का उपयोग करते हुए, यह संक्षेप में आवंटन, सार्वजनिक व्यय, आउटपुट और प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण देते हैं।